विद्यालय - MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL (P66920)

आवेदन क्रमांक : 36727

मान्यता कोड : RJBKN31391

प्रारूप - 2

कार्यांतयः जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी BIKANER , राजस्थान

क्रमांक: 872

दिनांक २०-03-२०२1

सचिव

प्रबंध समिति

MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र|

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 36727 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL पता GAINER ROAD, BIKANER ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NN_BIKANER ब्लॉक BIKANER को शैक्षिक सत्र 2020-21 से निग्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

मान्यता का प्रकार	नवीन मान्यता कक्षा (1-8)
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संचालन की अनुमति	Yes

जिला शिक्षा-अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि.,बीकानेर DDO.No.-101190,ID-1569

Generated from NIC-PSP(http://rajpsp.nic.in) Web-Portal

Page 1 of 3

19/03/2021

U 3 30H V

विद्यालय - MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL (P66920)

आवेदन क्रमांक : 36727

मान्यता कोड : RJBKN31391

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी BIKANER, राजस्थान

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।

2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बात शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पातन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनयम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस – पड़ीस के कमज़ीर वर्ग और अभावग्रस्त समृह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

 पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5. सोसाइटी/विद्योलय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संप्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को ्रिकसी-इंटाई-(Sgreening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा

6 विद्यालयं आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधी का पालन करेगा।

(i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बातक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोक। या विद्यालय से निष्कासित े नहीं किया जाएंगा

(॥) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;

(III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;

(IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुत्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा– अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा; (V) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;

(V) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियोग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए; (VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए (VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए

(VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं (VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलायों में नहीं लगायेंगे।

विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी। 10.विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।

13. किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।

14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय- समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।

17. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।

18. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी (चुट्यालय) प्रा.शि.,बीकानेर DDO.No.-101190,ID-1569

Generated from NIC-PSP(http://rappspubc.th/ Web-Bortal

Page 2 of 3

19/03/2021

MINY - MAHESHWARI PUBLIC SCHOOL (P66920)

आवेदन क्रमांक : 36727

मान्यता कोड : RJBKN31391

प्रारूप - 2

कार्यातयः जिला प्रारम्भिक विक्षा अधिकारी BIKANER , राजस्थान

जिला शिक्षा अधिकारी (मुद्धालिय) भी त्रित जिल्हा DDO.No.-101190,ID-1569

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू। 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ट, राजस्थान, अजमेर। 3 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (प्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 4 रक्षित पत्रावली।

(मुख्यालय) प्रा.शि.,बोकानर DDO.No.-101190,ID-1569

Generated from NIC-PSP(http://rajpsp.nic.in) Web-Portal

Page 3 of 3

19/03/2021

